[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्तमंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 02/2020- एकीकृत कर (दर)

नयी दिल्ली, दिनांक 26 मार्च, 2020

सा. का. नि. ....(अ) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1), (3) और उप-धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्यों (iii) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 25 के समक्ष,

(i) मद (i) के पश्चात, और कालम (3), (4) और (5) में दी गयी उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

(3)	(4)	(5)
“(iक) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल-पुर्जों की देख-भाल, मरम्मत या ओवरहोलिंग की सेवाएँ	5	-”

(ii) मद(ii) में, कालम (3) में, कोष्ठक और अंक “(i)” के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक “और (iiक)” को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी।

[फा. संख्या 354/32/2020-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 08/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा. का. नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2019- एकीकृत कर (दर), दिनांक 22 नवम्बर, 2019, सा. का. नि. 871(अ), दिनांक 22 नवम्बर, 2019 के द्वारा सांशोधन किया गया है।